राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –111/2023 (135/2018 देवगढ़) प्रा0पत्र

अनवान

तुलसासिह पिता केसा 50 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम नरदास का गुढा तहसील भीम (पूर्व तहसील देवगढ) जिला राजसमन्द

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमंद
2. भंवर पिता नारू जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी नरदास का गुढा तहसील भीम (पूर्व तहसील देवगढ) जिला राजसमन्द

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लुम्बसिंह
02. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक:– 12/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम नरदास का गुढा की जमाबन्दी संवत 2032–2035 में खाता संख्या 195 में आराजी नम्बर 519 रकबा 2.15 बीघा में दूदा हजारी पिता भीमा, नाथू भंवर मोहन पिता जोरू का 1/2 हिस्सा अन्य खातेदारो के साथ दर्ज रिकार्ड था। जमाबन्दी सम्वत 2036–39 की लिखाई के समय दूदा पिता भीमा का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा छोड दिया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी दूदा का नाम नहीं है। हजारी पिता भीमा ने अपना 1/8 हिस्सा श्री नारू पिता वगता जाति गुर्जर को बेचान करने से जमाबन्दी सम्वत 2036–39 की लिखाई के समय दूदा पिता हजारी का 1/8 हिस्सा भी पटवारी द्वारा नारू पिता वगता जाति गुर्जर के हिस्से मे शामिल कर नारू पिता वगता को 1/4 हिस्से का खातेदार बना दिया गया। नारू पिता वगता की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस भंवर पिता नारू के नाम उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा हाजा न्यायालय में अपने खातेदारी के 1/4 हिस्से के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि वह 1/8 हिस्से का ही खातेदार है। अतः उक्त आराजी में 1/8 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी के हिस्से दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी से संबंधित नामान्तकरण संख्या 447 के अनुसार दूदा हजारी पिता भीमा द्वारा अपनी भूमि का बेचान नारू पिता वगता के हक में कर दिया है। उक्त नामान्तकरण के अनुसार दूदा व हजारी पिता भीमा दोनों द्वारा अपने हिस्से का बेचान कर दिया है। अतः हजारी पिता भीमा का नाम जमाबन्दी में सहवन से नही छूटा है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खसरा संख्या 519 रकबा 2.15 बीघा में 1/8 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी के हिस्से दर्ज करने उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner